संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- पेंशन/उपदान/पेंशन की संराशीकरण/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनॉक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-(1) प्रभावी होने की तिथि -

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हुए हों। दिनाँक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

3-(2)

इन आदेशों से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके मामलों में दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4(1) परिलब्धियाँ

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम-9(21) (1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

4(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनाँक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

4-(3)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

5-पेंशन

5-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

5-(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2006 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा गया है। जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

5-(3)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

5-(4)

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	**पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

<u>6- अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना</u>

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनॉक 08-12-2008 द्वारा दिनॉक 01-01-2006 से समाप्त कर दिया गया है।

<u>7- **नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965**</u>

7(1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू0- 9000/- प्रतिमाह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

7(2)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

7(3)- वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-5(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7(4)- पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

<u>वर्ग-1</u>

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ग-2

(च)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णत: आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/ विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलॉग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियॉं जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

7(5)- संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार में प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7(6)- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016-308/97, दिनॉंक 27-10-2016 द्वारा तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य की गयी है तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बंद की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य होगा। शासनादेश दिनॉक 06-08-1981 सपठित शासनादेश दिनॉक 12-11-1997 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

7(7)- उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7(8)- ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढी हुई दरों पर पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगी।

8- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी

8(1)- मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :-

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

8(2)- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

9- पेंशन का राशिकरण

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भॉति

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनाँक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनाँक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन

एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि जो ऐसे राज्य सरकार के सिविल सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को देय है, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्स-ग्रेशिया की धनराशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

परिस्थितियाँ		धनराशि(रूपये)
(क)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ख)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ग)	सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों अथवा समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
(घ)	विशिष्ठ रूप से चिन्हित ऊँची पहाड़ियों या दुर्गम सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में।	35 लाख
(ड)	युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाये अथवा भारतीयों को विदेश में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के दौरान हुई मृत्यु पर।	45 लाख

उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन तथा आवश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

12-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-38/2016-सा-3-921(1)/दस-2016/308/16 तद् दिनाँक।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉं तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।